

मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), मैनुअल स्कैवेंजर्स, हेपेटाइटिस, टेटनस, हैजा, श्वासावरोध, मैनुअल स्कैवेंजर्स के नयोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, यंत्रिकृत स्वच्छता पारसिथतिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem- NAMASTE), शहरी स्थानीय निकाय (ULB), NALSA, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वतित और विकास नगिम (NSKFDC), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहति 2020, स्वच्छ भारत मशिन (SBM) ।

मेन्स के लिये:

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन में प्रौद्योगिकी की भूमिका । मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन में न्यायपालिका की भूमिका ।

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'व्यक्तिकी गरमा और स्वतंत्रता - मैनुअल स्कैवेंजर्स के अधिकार' पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया ।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

- परचिय: मैनुअल स्कैवेंजिंग से आशय किसी व्यक्ति द्वारा बना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के अपने हाथों से ही मानवीय अपशषिटों (human excreta) की सफाई करने से है ।
 - इसमें अस्वास्थ्यकर शौचालयों, खुली नालियों, गड्ढों या रेलवे पटरियों से मानव मल को मैनुअल रूप से साफ करना शामिल है ।
- वर्तमान स्थिति: वर्ष 2021 में भारत में मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या 58,098 दर्ज की गई, जनिमें से 75% महिलाएँ थीं ।
 - 31 जुलाई, 2024 तक देश के 766 ज़िलों में से 732 ज़िलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त बताया है ।
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मैनुअल स्कैवेंजिंग मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है ।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कानूनी ढांचा:
 - मैनुअल स्कैवेंजर्स के नयोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: मैनुअल स्कैवेंजर्स के नयोजन का प्रतषिध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण सहित मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतषिध लगाता है , और ऐसे शौचालयों को नष्ट करने या स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का आदेश देता है ।
 - इसमें कौशल विकास, वित्तीय सहायता और वैकल्पिक रोज़गार के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान और पुनर्वास का भी प्रावधान है ।
- SC/ST (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989: यह मैनुअल स्कैवेंजिंग में अनुसूचित जातियों के नयोजन को अपराध मानता है ।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- स्वास्थ्य: मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रायः मानव मल के संपर्क में आना पड़ता है, जिसमें अनेक रोगाणु होते हैं ।
 - इस जोखिम के कारण वे हेपेटाइटिस, टेटनस और हैजा जैसी बीमारियों के प्रतषिध अतसिंवेदनशील हो जाते हैं ।
 - सेप्टिक टैंकों में हाइड्रोजन सलफाइड जैसी जहरीली गैसों की मौजूदगी से श्वासावरोध का गंभीर खतरा पैदा होता है, जिससे अचानक मृत्यु हो सकती है ।
 - सरकारी आँकड़ों के अनुसार, सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक 377 लोगों की

मौत हो चुकी है।

- **सामाजिक कलंक:** मैनुअल स्कैवेंजर्स को कलंकित किया जाता है और उनके साथ **अस्पृश्यता का व्यवहार** किया जाता है, जिससे सामाजिक बहिष्कार को बल मिलता है और **जाता व्यवस्था** कायम रहती है।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:** मैनुअल स्कैवेंजर्स को बहुत कम, **न्यूनतम मजदूरी** से भी कम, भुगतान किया जाता है, जिससे वे **गरीबी के चक्र** में फँसे रहते हैं।
 - उन्हें बना किसी नौकरी की सुरक्षा या लाभ के, **संवर्द्धा या दैनिक मजदूरी के आधार पर नयुक्त** किया जाता है।
- **दोहरा भेदभाव:** महिलाएँ, जो **मैनुअल स्कैवेंजर्स** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, को **लैंगिक भेदभाव और सामाजिक कलंक** के साथ-साथ यौन उत्पीड़न और शोषण जैसी असमानता का सामना करना पड़ता है।
- **मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** इस पेशे से जुड़ा सामाजिक कलंक प्रायः चिंता और अवसाद जैसी गंभीर **मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों** का कारण बनता है।
- **नशीली दवाओं का प्रयोग:** अपने अनिश्चिति कार्य के **तनाव और कलंक** से निपटने के लिये, कई मैनुअल स्कैवेंजर **नशीली दवाओं** का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ④ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ④ मामलों का स्वतः संज्ञान
- ④ मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- ④ मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ④ मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ④ व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ④ यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ④ मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ④ 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ④ **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ④ **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ④ **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति: वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024

कार्यकाल

- ④ 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ④ राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ④ **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर



Drishti IAS

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सर्वोच्च न्यायालय के दशिया-नरिदेश क्या हैं?

- डॉ. बलराम सहि मामला, 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के पूरण उनमूलन हेतु केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 14

- (c) हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना ।
(d) बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना ।

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. नरितर उत्पन्न कयि जा रहे और फेंके गए ठोस कचरे की वशाल मात्रा का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशषिटों को सुरकषति रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

प्रश्न. "जल, स्वच्छता और स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधति करने वाली नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनशिचति करने के लयि लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशति परणामों के साथ समन्वति कयि जाना है।" WASH योजना के संदर्भ में कथन की जाँच कीजयि । (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eradicating-manual-scavenging>

